

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1672 / 2012 / जोधपुर.
2. अपील संख्या – 1673 / 2012 / जोधपुर.
3. अपील संख्या – 1674 / 2012 / जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर.अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स यूनिवर्सल इम्पेक्स प्रा० लिमिटेड,
106, जीत अपार्टमेंट्स, रातानाडा, जोधपुर.प्रत्यर्थी.

4. क्रॉस ऑफ्जेक्शन संख्या – 2030 / 2012 / जोधपुर.
5. क्रॉस ऑफ्जेक्शन संख्या – 2031 / 2012 / जोधपुर.
6. क्रॉस ऑफ्जेक्शन संख्या – 2032 / 2012 / जोधपुर.

मैसर्स यूनिवर्सल इम्पेक्स प्रा० लिमिटेड,
106, जीत अपार्टमेंट्स, रातानाडा, जोधपुर.प्राप्ती.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर.अप्राप्ती.

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,अपीलार्थी राजस्व की ओर से
उप—राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से
श्री एन. एम. मेहतिया, अभिभाषकप्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25 / 02 / 2015

निर्णय

उपरोक्त तीन अपीलों वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपीला), प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 45, 46 व 47 / आरएसटी / जेयूर / 11–12 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 30.03.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्त्तन कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भी वेट अधिनियम की धारा 83(4) के अन्तर्गत पृथक—पृथक प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑफ्जेक्शन्स) प्रस्तुत किये गये हैं। अपीला अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की आत्माचा अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 24 / 25(1) / 26, 55, 58 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक—पृथक आदेश दिनांक 29.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये हैं।

८२०१५

१

लगातार..... 2

1-3. अपील संख्या—1672/2012, 1673/2012 व 1674/2012/जोधपुर.
4-6. प्रत्याक्षेप(क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स)संख्या—2030/12, 2031/12 व 2032/12/जोधपुर.

उपरोक्त सभी अपीलों एवं प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रार्थना—पत्रों के पक्षकार, तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से इन प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2006–07, 2007–08 व 2008–09 के लिये पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 24/25(1)/26, 55, 58 व 61 दिनांक 29.03.2010 को पारित करते हुए निम्नालिका अनुसार मांग सृजित की गयी :—

अपील संख्या	प्रत्याक्षेप संख्या	अपीलीय आदेश संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण अन्तर्गत धारा	सृजित कुल मांग
1672/12	2030/12	45/RST	2006–07	26, 55, 61 RVAT	2,10,41,726
1673/12	2031/12	46/RST	2007–08	25(1), 24, 55, 61 RVAT	2,24,67,283
1674/12	2032/12	47/RST	2008–09	24, 55, 58, 61 RVAT	2,18,97,625

प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 30.03.2012 से स्वीकार करते हुए प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश गोव्यथित होकर राजस्व द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भी क्रॉस ऑब्जेक्शन्स प्रस्तुत किये गये हैं।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2012 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तीना प्रकरणों में वेट अधिनियम की 26, 55, 61 सपठित धारा 24(4) के तहत पूनरपृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.04.2014 को पारित किये जा चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें निष्प्रभावी हो चुकी हैं। विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 11.04.2014 की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयीं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्व की अपीलें तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन्स निष्प्रभावी हो जाने से अर्थीकार विषये जाने का निवेदन किया गया।

१०३४/—

२-

लगातार.....3

1-3. अपील संख्या—1672/2012, 1673/2012 व 1674/2012/जोधपुर.

4-6. प्रत्याक्षेप(क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स)संख्या—2030/12, 2031/12 व 2032/12/जोधपुर.

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिकथन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरणों का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियां एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2012 की पालना में पारित किये गये पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.04.2014 का अवलोकन किया गया।

प्रकरणों में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 29.03.2010 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 30.03.2012 के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः वेट अधिनियम की धारा 24(6) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.04.2014 को पारित किये जा चुके हैं।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने के पश्चात अब प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध विचाराधीन अपीलें चलने योग्य नहीं रहती हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59] के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्वारा खारिज की जाती हैं। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स भी खारिज किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

४७८०८०८
(मनोहर पुरी)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष